भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3292

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदी आधारित अंतर्राज्यीय विवाद

3292. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नदी आधारित अंतर्राज्यीय विवादों के बारे में कोई जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इन विवादों को सुलझाने के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में समान जल वितरण के लिए राज्यों के बीच समन्वय को सुगम बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): संसद द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निपटान हेतु अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया है। जब कभी भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी राज्य सरकार की ओर से अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित किसी प्रकार के जल विवाद के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केंद्रीय सरकार को लगता है कि जल विवाद का समाधान बातचीत से नहीं किया जा सकता, तो केंद्रीय सरकार जल विवाद निपटारे हेतु एक जल विवाद अधिकरण का गठन करती है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने हेतु आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अब तक 09 अधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं। विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण के विवरण को **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बिहार राज्य और तमिलनाडु राज्य की ओर से क्रमशः बाराकर-घाघर उप-नदियों और पेन्नयार बेसिन से संबंधित दो विवादों के लिए अधिकरण के गठन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग): संबंधित बेसिन राज्यों की ओर से उपरोक्त जल विवाद अधिकरणों के गठन हेतु आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 और धारा 14 (रावी और व्यास जल अधिकरण के संबंध में) के अंतर्गत केंद्र सरकार को अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। जल विवादों के निपटारे/निर्णय की प्रक्रिया पहले से ही उक्त अधिनियम में निर्धारित की गई है। विशेष रूप से सूखा-ग्रस्तक्षेत्रों में, समुचित जल वितरण के संबंध में, यह सूचित किया जाता है संबंधित बेसिन राज्यों को अधिनियम की धारा 3 के तहत अपने अनुरोध में ऐसे मुद्दों को शामिल किया जाना अपेक्षित है और ऐसे क्षेत्रों के लिए जल आवंटन/उचित राहत हेतु अधिकरण के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

*****

अनुलग्नक

"नदी आधारित अंतर्राज्यीय विवाद" के संबंध में दिनांक 20.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3292 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्तमान तिथि तक जल अधिकरणों की सूची

क्र.सं.	अधिकरण	गठन की तारीख	नदी का नाम	संबंधित राज्य	वर्तमान स्थिति
1	गोदावरी जल विवाद अधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी)	अपैल 1969	गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा	जुलाई 1980 में निर्णय (अवार्ड) दिया गया।
2	कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-I)	अप्रैल , 1969	कृष्णा	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मई 1976 में निर्णय दिया गय .
3	नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी)	अक्टूबर, 1969	नर्मदा	राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र	दिसम्बर, 1979 में निर्णय दिया गया।
4	रावी और व्यास जल अधिकरण (आरबीडब्ल्यूटी)	02.04.1986	रावी और व्यास	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान	आईआरएसडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत रिपोर्ट और निर्णय अप्रैल 1987 में दिए गए। पक्षकार राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5(3) के तहत न्यायाधिकरण से स्पष्टीकरण/व्याख्या मांगी गई। मामला न्यायालय में है।
5	कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी)	02.06.1990	कावेरी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी	आईआरएसडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 05.02.2007 को रिपोर्ट और निर्णय दे दिया गया और 19.02.2013 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.02.2018 के अंतिम निर्णय के अनुसरण में 16.07.2018 की अधिसूचना के माध्यम से अधिकरण को भंग कर दिया गया।

6	कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-II)	02.04.2004	कृष्णा	महाराष्ट्र, कर्नाटक और वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना	आईआरएसडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 30.12.2010 को रिपोर्ट और निर्णय दे दिया गया न्यायाधिकरण द्वारा धारा 5(3) के तहत अतिरिक्त रिपोर्ट 29.11.2013 को दी गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2011 के आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक, अधिकरण की रिपोर्ट/निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में, अधिकरण आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 के अनुसार मामलों की सुनवाई कर रहा है।
7	वंसधरा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी)	24.02.2010 (प्रभावी तिथि 17.09.2012)	वसंधरा	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	आईआरएसडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 13.09.2017 को रिपोर्ट और निर्णय दिया गया। धारा 5(3) के अंतर्गत अतिरिक्त रिपोर्ट 21.06.2021 को न्यायाधिकरण द्वारा दी गई। अधिकरण को भंग कर दिया गया है, हालाँकि धारा 5(3) के तहत अंतिम अवार्ड की आगे की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है।
8	महादयी जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी)	16.11.2010 (प्रभावी तिथि 21.08.2013)	महादयी	गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.02.2020 के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिनांक 27.02.2020 की अधिसूचना माध्यम से धारा 5(2) के तहत 14.08.2018 की एमडब्ल्यूडीटी अवार्ड को प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त, धारा 5(3) के तहत पक्षकार राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ प्रस्तुत किए गए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
9	महानदी जल विवाद अधिकरण	12.03.2018	महानदी	ओडिशा एवं छत्तीसगढ	मामला आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अधिकरण में विचाराधीन है।

*****